न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी:– श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस., जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर
प्रकरण संख्या :–69/2016 (जीसीएमएस न0 2019/00055)
उनवानी प्रकरण :–
सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, धौलपुर ---------- प्रार्थी।

बनाम्

श्री हंसा उर्फ हंसराम पुत्र श्री भैरोसिंह जाति गुर्जर निवासी भोला का पुरा थाना बाडी जिला धौलपुर ---------- अप्रार्थी।

इस्तगासा अंतर्गत धारा 3, राज0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :–
1– प्रार्थी की ओर से :–सुश्री दिव्या कमठान अभियोजन अधिकारी।
2– अप्रार्थी की ओर से :–श्री धर्मेन्द्र सिंह गुर्जर अभिभाषक।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ★ धौलपुर (राज0) ★

आदेश **दिनांक 26.08.2025**

जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की ओर से थानाधिकारी, थाना बाडी से प्राप्त इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3, राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 विरूद्व अप्रार्थी हंसा उर्फ हंसराम पुत्र श्री भैरोसिंह जाति गुर्जर निवासी भोला का पुरा थाना बाडी जिला धौलपुर इस आशय का प्रस्तुत किया, कि गैर सायल के विरूद्व थाना बाडी पर कुल 03 प्रकरण दर्ज है जिनमें सभी मुकदमात में गैरसायल का चालान न्यायालय में पेश किया गया है। गैरसायल बदमाश किस्म का व्यक्ति है,जो शराब पीकर दीगर बदमाशों के साथ रहता है, गलत संगत में पडने से अपने साथ हथियार रखकर आये दिन मारपीट, प्राणघातक हमले व सायं के वक्त बहिन बेटियों की छेडछाड, लज्जा भंग करने की घटना करता रहता है व मोटरसाइकिल चोरी करने का आदी है। आम आदमी इससे भयभीत रहने लगा है, जनता में इतना भय व्याप्त है, कि इसके घटना करने के बाद आमजन रिपोर्ट नहीं करते है व इसके डर की वजह से भयभीत रहते है व गवाही देने से डरते है। कुछ व्यक्तियों ने साहस करके इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराये है। गैरसायल मोटरसाईकिल चारी करने का अभ्यस्त अपराधी है। गैरसायल आवारा तथा गुण्डा किस्म का व्यक्ति है जिसकी समाज में आम सौहरत बहुत खराब है, इसका लोगों में भय व्याप्त है, जिससे थाना क्षेत्र में अशान्ति का माहौल बनाना, अपराधों का बढाना व कानून व्यवस्था प्रभावित करता है।गैरसायल के विरूद्व थाना बाडी पर दर्ज अपराधों का विवरण निम्न प्रकार है। मु0न0 720/2015 धारा 379 ता0हि0 थाना बाडी चार्जशीट नं0 368/2015 दिनांक 08.12.2015, मु0न0 721/2015 धारा 379 थाना बाडी चार्जशीट न0. 334/2015 दिनांक 21.11.2015, 722/2015 धारा 379 थाना बाडी चार्जशीट नं0 380/2015 दिनांक 17.12.2015, गैरसायल

जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

श्री हंसा उर्फ हंसराम पुत्र भैरोसिंह के विरूद्व दर्ज प्रकरणों व गैरसायल की गतिविधियों से आम जनता में उत्पन्न भय, सन्त्रास व उनका जीवन खतरे में पडा हुआ है। उक्त प्रकरणों में उसकी अपराधिक गतिविधियों के आधार पर उक्त गैरसायल गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) (1) (6) (8) की तारीफ में आता है, जिसे गुण्डा घोषित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः उक्त गैरसायल हंसा उर्फ हंसाराम के विरूद्व थाना बाडी से प्राप्त इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 संलग्न कर निवेदन किया है, कि गैरसायल हंसा उर्फ हंसाराम के विरूद्व बाद समायत सलूक कानूनी फरमाया जावे।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को नोटिस इस आशय का जारी किया गया, कि उसे इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो, तो वह इस न्यायालय में उपस्थित होकर कारण बताये।

अप्रार्थी की ओर से श्री धर्मेन्द्र सिंह गुर्जर अभिभाषक ने अपना वकालतनामा पेश कर नोटिस का जबाब पेश किया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी सीधा साधा मजदूर पेशा व्यक्ति है जो कृषि कार्य कर अपना व अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। मुल्जिम के विरूद्व गुण्डा एक्ट की कार्यवाही किये जाने बावत पत्रावली प्रस्तुत की है उसमें तीन मुकदमा दर्ज होना बताकर कार्यवाही की है, जो एफआईआर न0 720/2015, 721/2015 व 722/2015 थाना बाडी में दर्ज होना बताया और उपरोक्त प्रकरणों में पुलिस थाना बाडी द्वारा राजनैतिक दबाव में दर्ज कर झूंठे मुकदमें बनाकर कार्यवाही की है अप्रार्थी द्वारा कभी कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे अशांति एवं अव्यवस्था फैली हो। अप्रार्थी शांतिप्रिय जीवन व्यतीत करता चला आ रहा है। अप्रार्थी बाल बच्चेदार व्यक्ति है और कृषि कार्य करके अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता चला आ रहा है। पुलिस थाना बाडी में दर्ज रिपोर्ट संख्या 721/2015 में उत्तरदाता को न्यायालय श्रीमान द्वारा निर्दोष साबित कर प्रकरण का फैसला कर दिया है। जिसकी छायाप्रति जबाव प्रार्थना के साथ संलग्न है। और रिपोर्ट संख्या 720/2015 थाना बाडी का मुकदमा न्यायालय श्रीमान के समक्ष विचाराधीन है। अप्रार्थी ने कभी भी चुनाबों में कोई गडबडी नहीं की है और ना ही कभी भी बहु बेटियों के साथ छेडछाड की है। अप्रार्थी ने कभी भी किसी व्यक्ति को भयभीत नहीं किया है। अतः अप्रार्थी का जबाव स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

प्रार्थी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मेंहैडकॉस्टेबल बैल्ट नम्बर–238 श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री रामभजन मीणा तत्कालीन इन्चार्ज मालखाना हाल थाना बाड़ी पीडब्ल्यू–1 बयान कराये, हैडकॉस्टेबल बैल्ट नम्बर–239 श्रीकेश पुत्र फद्दीराम तत्कालीन पदस्थापन क्राइम ब्रान्च थाना बाडी हाल हैडकॉस्टेबल थाना बाडी पीडब्ल्यू–2, कॉस्टेबल बैल्ट नम्बर 234 श्री घनश्याम पुत्र श्री मंगल सिंह मीणा तत्कालीन पदस्थापन चौक टाउन थाना बाडी हाल थाना बसेडी पीडब्ल्यू–3, उपनिरीक्षक श्री रूपसिंह पुत्र बलवन्त सिंह तत्कालीन पदस्थापन सहायक उपनिरीक्षक थाना बाडी हालथाना बामनवास जिला सवाईमाधोपुर पीडब्ल्यू–4, उपनिरीक्षक श्री जगदीश सिंह पुत्र श्री भगवत सिंह

जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

तत्कालीन पदस्थापन उपनिरीक्षक वर्तमान सेवानिवृत पीडब्ल्यू–5 के बयान कराये गये जिस पर अप्रार्थी अभिभाषक द्वारा जिरह की गयी। बयान कलमबद्ध किये गये।

अप्रार्थी ने जबाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के फौजदारी प्रकरण संख्या 79/18 के निर्णय दिनांक 28.06.2024 पुलिस थाना बाडी में दर्ज रिपोर्ट संख्या 721/2015 की छायाप्रति प्रस्तुत की।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथों को दोहराते हुए कथन किया कि कि गैर सायल के विरूद्व थाना बाडी पर कुल 03 प्रकरण दर्ज है जिनमें सभी मुकदमात में गैरसायल का चालान न्यायालय में पेश किया गया है। गैरसायल बदमाश किस्म का व्यक्ति है, जो शराब पीकर दीगर बदमाशों के साथ रहता है, गलत संगत में पडने से अपने साथ हथियार रखकर आये दिन मारपीट, प्राणघातक हमले व शाम के बक्त बहिन बेटियों की छेडछाड, लज्जा भंग करने की घटना करता रहता है व मोटरसाइकिल चोरी करने का आदी है। जनता में इतना भय व्याप्त है, कि इसके घटना करने के बाद आमजन रिपोर्ट नहीं करते है व इसके डर की वजह से भयभीत रहते है व गवाही देने से डरते है। कुछ व्यक्तियों ने साहस करके इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराये है। गैरसायल आवारा तथा गुण्डा किस्म का व्यक्ति है जिसकी समाज में आम सौहरत बहुत खराब है, इसका लोगों में भय व्याप्त है, जिससे थाना क्षेत्र में अशान्ति का माहौल बनाना, अपराधों का बढाना व कानून व्यवस्था प्रभावित करता है। गैरसायल श्री हंसा उर्फ हंसराम पुत्र भैरोसिंह के विरूद्व दर्ज प्रकरणों व गैरसायल की गतिविधियों से आम जनता में उत्पन्न भय, सन्त्रास व उनका जीवन खतरे में पडा हुआ है। प्रकरण संख्या 720/15 थाना बाडी अन्तर्गत धारा 379 आईपीसी पंजीबद्व हुआ था, दिनांक 13.11.15 को मोटरसाईकिल चोरी की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 721/15, 722/15पुलिस थाना बाडी पर अन्तर्गत धारा 379 आईपीएस में पंजीबद्व हुऐ थे। उक्त पकरणों में वाद अनुसंधान मुल्जिम के विरूद्व चार्जशीट संख्या 368, 334 व 380 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी।उक्त प्रकरणों में उसकी अपराधिक गतिविधियों के आधार पर उक्त गैरसायल गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) (1) (6) (8) की तारीफ में आता है, जिसे गुण्डा घोषित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के तहत कार्यवाही की जाकर अप्रार्थी को गुण्डा घोषित किया जावे।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाव में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी सीधा साधा मजदूर पेशा व्यक्ति है जो कृषि कार्य कर अपना व अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। मुल्जिम के विरूद्व गुण्डा एक्ट की कार्यवाही किये जाने बावत पत्रावली प्रस्तुत की है उसमें तीन मुकदमा दर्ज होना बताकर कार्यवाही की है, जो एफआईआर न0 720/2015, 721/2015 व 722/2015 थाना बाडी में दर्ज होना बताया और उपरोक्त प्रकरणों में पुलिस थाना बाडी द्वारा राजनैतिक दबाव में दर्ज कर झूंठे मुकदमें बनाकर कार्यवाही की है अप्रार्थी द्वारा कभी कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे अशांति एवं अव्यवस्था फैली हो। अप्रार्थी शांतिप्रिय जीवन व्यतीत करता चला आ

जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

रहा है। अप्रार्थी बाल बच्चेदार व्यक्ति है और कृषि कार्य करके अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता चला आ रहा है। पुलिस थाना बाडी में दर्ज रिपोर्ट संख्या 721/2015 में उत्तरदाता को न्यायालय श्रीमान द्वारा निर्दोष साबित कर प्रकरण का फैसला कर दिया है। और रिपोर्ट संख्या 720/2015 थाना बाडी का मुकदमा न्यायालय श्रीमान के समक्ष विचाराधीन है। अप्रार्थी ने कभी भी चुनाबों में कोई गडबडी नहीं की है और ना ही कभी भी बहु बेटियों के साथ छेडछाड की है। अप्रार्थी ने कभी भी किसी व्यक्ति को भयभीत नहीं किया है। अतः अप्रार्थी का जबाव स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अप्रार्थी के खिलाफ राजस्थान गुण्डा अधिनियम के अधीन कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नहीं है।

हमने विद्वान अभिभाषकगणों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 यद्यपि लोक व्यवस्था को कायम रखने की दृष्टि से गुण्डों पर नियंत्रण करने और उनको दबाने के लिये विशेष उपबंध बनाने का अधिनियम है, तदापि नागरिकों की सामान्य स्वतंत्रताओं को भी अक्षुण रखना लोक व्यवस्था के लिये आवश्यक है। अधिनियम की धारा 2 में शब्द गुण्डा को निम्न रूप से परिभाषित किया गया है :–

"(ख) "गुण्डा" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है, जो–
1. स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य अथवा नेता या मुखिया के रूप में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) के अध्याय 16, 17 या 22 अथवा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 290 से 294 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध करने का अभ्यस्त है, या करने का प्रयास करता है, या करने के लिये प्रेरित करता है, अथवा
2. सप्रेशन ऑफ इम्मोरल ट्रेफिक इन वुमन एण्ड गर्ल्स अधिनियम 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 104) के अधीन दोषी ठहराया गया हो, अथवा
3. राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 (1950 का राजस्थान अधिनियम संख्या 11) के अंतर्गत कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो, अथवा
4. अफीम अधिनियम, 1878 (1878 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 1) या एन0डी0पी0एस0 एक्ट 1985 के अंतर्गत कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो, अथवा
5. राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश, 1949 (1949 का राजस्थान अध्यादेश संख्या 48) के अधीन कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो, अथवा
6. महिलाओं एवं लडकियों पर अभ्यासतः अशिष्ट टिप्पणी करता या उन्हें छेडता हुआ पाया गया हो, अथवा
7. हिंसात्मक कार्यो या बल प्रदर्शन द्वारा कानून का पालन करने बालों को कष्ट देने का अभ्यासी पाया गया हो, अथवा
8. जो सार्वजनिक स्थानों पर दंगा या शांति भंग करने या बलवा करने का अभ्यासी हो या जो बलपूर्वक चंदे का संग्रह अथवा अपने या दूसरों के अवैध आर्थिक लाभ हेतु लोगों को

जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

धमकी देने का अभ्यस्त हो या जो व्यक्तियों अथवा सम्पत्ति की चेतावनी, खतरा या नुकसान करने का अभ्यस्त हो।

स्पष्टीकरण :– किसी व्यक्ति के सम्बंध में खण्ड में जहॉ किसी "अभ्यस्त" या "अभ्यासी" शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो इससे ऐसे व्यक्ति का अभिप्राय है, जो धारा 3 के अंतर्गत किसी कार्यवाही के आरम्भ में तुरन्त पूर्व छः माह की अवधि के दौरान कम से कम तीन अवसरों पर खण्ड (1), (6), (7) या (8) में वर्णित यथास्थिति, अपराध या कार्य करने का दोषी पाया गया हो।"

प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी के विरूद्ध निम्न मुकदमों का उल्लेख किया है:–मु0न0 720/2015 धारा 379 ता0हि0 थाना बाडी चार्जशीट नं0 368/2015 दिनांक 08.12.2015, मु0न0 721/2015 धारा 379 थाना बाडी चार्जशीट न0. 334/2015 दिनांक 21.11.2015, 722/2015 धारा 379 थाना बाडी चार्जशीट नं0 380/2015 दिनांक 17.12.2015, जो अधिनियम की धारा 2(ख) की उपधारा 1 के अन्तर्गत आते हैं।अप्रार्थी अधिनियम 1975 के उद्देश्यों के लिए गुण्डा हैं, जिसके विरूद्ध धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना उचित होगा। क्योंकि धारा 2 (ख) की उपधारा 1 में यह उल्लेख है कि स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य अथवा नेता या मुखिया के रूप में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) के अध्याय 16, 17 या 22 अथवा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 290 से 294 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध करने का अभ्यस्त है, या करने का प्रयास करता है, या करने के लिये प्रेरित करता है,

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अप्रार्थी राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के उद्देश्यों के लिए गुण्डा हैं और उसकी गतिविधियों से धौलपुर जिले के व्यक्तियों को नुकसान हो रहा है और होने की सम्भावना है। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 जिस बुराई को रोकने के लिए यथा लोक व्यवस्था की स्थिति को कायम रखने के लिए गुण्डों पर नियंत्रण करने व उनको दबाने के लिए जो विशेष उपबन्ध करता हैं वह इस प्रकरण में पूरी तरह साबित हैं और अप्रार्थी को अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत जिला धौलपुर से निष्कासित किया जाना पूर्णतः न्यायोचित और विधिसम्मत है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी हंसा उर्फ हंसराम पुत्र श्री भैरोसिंह जाति गुर्जर निवासी भोला का पुरा थाना बाडी जिला धौलपुर को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत 15 दिवस के लिये जिला धौलपुर से निष्कासित कर जिला करौली में रहने के आदेश दिये जाते हैं। उपरोक्त अवधि में अप्रार्थी जिला करौली में रहेगा जहाँ वह शान्ति व्यवस्था कायम रखेगा व कोई आग्नेय–अस्त्र शस्त्र अपने पास नहीं रखेगा। यदि उसके पास लाईसेन्सी हथियार है तो उसे अपने नजदीकी थाने में जमा करायेगा। अप्रार्थी प्रथमतः पुलिस अधीक्षक करौली के यहाँ उपस्थित देगा, जहाँ से पुलिस अधीक्षक करौली के निर्देशानुसार बताये गये थाने में प्रत्येक सोमवार को अपनी उपस्थिति देगा। पुलिस अधीक्षक धौलपुर अप्रार्थी को पुलिस अधीक्षक करौली के यहाँ उपस्थिति हेतु पाबन्द करेगें। इस आदेश की पालना हेतु पुलिस अधीक्षक धौलपुर, पुलिस अधीक्षक करौली के नियंत्रण में अप्रार्थी हंसा उर्फ हंसराम पुत्र श्री भैरोसिंह जाति गुर्जर

जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

निवासी भोला का पुरा थाना बाडी जिला धौलपुर को सुपुर्द कर पालना सुनिश्चित करायेगें। 15 दिवस पूरे होने पर अप्रार्थी हंसा उर्फ हंसराम जब पुनः धौलपुर जिले की सीमा में प्रवेश करेगा तो इसकी सूचना वह जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर को देगा। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर व जिला पुलिस अधीक्षक करौली को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 26.08.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज.)